प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 109/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Dilip Singh Sisodiya Add. 19, Surji ka guda, P.O. Jawad, Tehsil-Ghasa, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329960396162484 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना से भिन्न अपूर्ण, भ्रामक एवं अस्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2710623448 दिनांक 22.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/109/24/987–88 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ./सूअअ/2005/प्र.अ./109/2024/1992–93 दिनांक 03.09.2024 से वांछित सूचना तहसीलदार घासा से संबंधित होने से तहसीलदार घासा को लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा तहसीलदार घासा को जरिये पत्रांक 1992–93 दिनांक 03.09,2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार घासा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हो पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना नहीं दी जाकर भिन्न सूचना प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार जाती है।

प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी प्रेषित की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो उसे वांछित रिकार्ड का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करते हुए

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कार्यालय समय में उपस्थित होने एवं चाही गई वांछित सूचना का अवलोकन करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा/घासा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर